संख्याः 6289–6348 / 23(12)–एक / 2013

प्रेषक,

महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
देहरादून।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक / प्रारम्भिक) उत्तराखण्ड।
3. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त उप खण्ड शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा दिनांक 07 अगस्त 2014

विषय :– **विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने हेतु की जाने वाली कार्यवाही एवं तद्नुसार उत्तरदायित्व का निर्धारण विषयक।**

महोदय,

प्रायः यह देखने में आया है कि समय–समय पर विद्यालयों के निरीक्षणों के बावजूद भी शिक्षकों की विद्यालयों से अनुपस्थिति में निरन्तर वृद्धि हो रही है। शिक्षा में गुणवत्ता वृद्धि हेतु विभिन्न स्तरों से प्रयास किये जा रहे हैं लेकिन प्रयासों के बावजूद भी शिक्षकों की विद्यालयों से अनुपस्थिति के फलस्वरूप यथोचित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षकों की उपस्थिति एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षकों को प्रेरित करने हेतु अनेक प्रयास किये गये हैं, लेकिन कतिपय उदासीन शिक्षकों के असहयोग के कारण अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ ही परिषदीय परीक्षा परिणाम में भी लगातार गिरावट हुई है। अतः अब समय आ गया है कि छात्र हित में विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ–साथ उप शिक्षा अधिकारियों, खण्ड शिक्षा अधिकारियों व जनपदीय शिक्षा अधिकारियों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाय।

सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु विद्यालयों का **विशेष सघन निरीक्षण कार्यक्रम** संचालित किया जाय :–

1. विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।
2. किसी भी दशा में शिक्षकों के बिना तिथि के अवकाश आवेदन स्वीकृत न किए जांय।
3. अवकाश नियमों का विधिवत पालन किया जाय।
4. अवैधानिक रूप से अनुपस्थित शिक्षकों के विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय। No Work No Pay के सिद्धान्त पर अनुपस्थित दिवस का वेतन भी काटा जा सकता है।
5. जिन विद्यालयों में मध्याह्न भोजन नहीं बन रहा हो अथवा विद्यालय पूर्ण रूप से बन्द हो, के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाय।
6. शिक्षक द्वारा अपने कार्यस्थल पर पढ़ाने हेतु रखे गये किसी अन्य व्यक्ति (Proxy Teacher) की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाय। ऐसा प्रकरण प्रकाश में आने पर सम्बन्धित शिक्षक एवं Proxy व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाय। साथ ही ऐसे शिक्षक के विरूद्ध अनुशासन एवं अपील नियमावली के अनुरूप भी कार्यवाही की जाय।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु सम्पूर्ण प्रदेश में विशेष सघन निरीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया है। सघन निरीक्षण के दिनांक एवं दिवस के सम्बन्ध में महानिदेशालय द्वारा मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आपको दूरभाष पर अवगत कराया जायेगा। निरीक्षण दिवस को सांयकाल 4:00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र पर अनुपस्थित शिक्षकों की सूचना मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा संकलित करते हुये महानिदेशालय को ई–मेल (dgeduuk@gmail.com) के माध्यम से उपलब्ध कराई जायेगी तथा सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारियों को भी प्रेषित की जायेगी।

निरीक्षण दिवस को अनुपस्थित (बिना अवकाश स्वीकृति के) शिक्षकों के विरूद्ध निरीक्षण दिवस की आख्या को ही प्रारम्भिक जांच मानते हुये निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. सम्बन्धित शिक्षकों को प्रत्येक दशा में निरीक्षण की अनुवर्ती तिथि को नियुक्ति अधिकारी द्वारा निलम्बित किया जाय तद्सम्बन्धी सूचना महानिदेशालय को उसी दिवस को प्रेषित की जाय।
2. निलम्बित शिक्षकों को तीन दिन के अन्दर आरोप पत्र उपलब्ध कराया जाय। एक सप्ताह में आरोप का प्रत्युत्तर प्राप्त कर अनुपस्थिति की अवधि एवं प्रकृति के अनुरूप गुण–दोष के आधार पर अनुशासन एवं अपील नियमावली के अनुसार शास्ति निर्धारित करते हुये सेवा में बहाली/सेवा समाप्ति की कार्यवाही कर ली जाय। तद्सम्बन्धी संकलित सूचना नियुक्ति अधिकारी द्वारा महानिदेशालय को एक सप्ताह में उपलब्ध करा दी जाय।
3. विकास खण्ड के निरीक्षित विद्यालयों में शिक्षकों की औसत उपस्थिति लगातार तीन बार प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 50 प्रतिशत व माध्यमिक विद्यालयों में 75 प्रतिशत से कम पायी जाती है तो प्रारम्भिक शिक्षा के सन्दर्भ में सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी तथा माध्यमिक शिक्षा के परिपेक्ष्य में सम्बन्धित प्रधानाचार्य एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी के विरूद्ध भी अनुशासन एवं अपील नियमावली में उल्लिखित प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी। तद्नुसार प्रस्ताव मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा नियमानुसार नियुक्ति अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
4. समय–समय पर जनपद के मुख्य विकास अधिकारी एवं उप जिला अधिकारियों द्वारा भी विद्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। सम्बन्धित प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई शिक्षकों की अनुपस्थिति एवं अनियमितताओं के प्रकरणों पर भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

खण्ड शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी अथवा नियुक्ति अधिकारी द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही नहीं किये जाने की दशा में सम्बन्धित के विरूद्ध भी अनुशासन एवं अपील नियमावली के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अतः निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड

पृ.सं.: **6289–6348** /23(12)–एक/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री जी उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
4. सचिव, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड को सूचनार्थ।
6. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अपर निदेशक (मा.शि./प्रा.शि.), गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल को अनुपालनार्थ।

(राधिका झा)
महानिदेशक
विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड